

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक

राणा असुर वगै०

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

बनाम

मिनरल्स एण्ड मिनरल्स

आदेश फलक तारीख.....से.....तक जिला - गुमला

वाद सं० :- 30 / 2017-18

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री राणा असुर पिता-स्व मंगरा असुर ग्राम-माथुलाईन चारोन जिला-जलपाईगुडी राज्य पश्चिम बंगाल 2. ठेपा असुर पिता - स्व० मंगरा असुर ग्राम-अर्शहालपाटी कुँच बिहार जिला- कुँच बिहार राज्य पश्चिम बंगाल 3. बुधवा असुर पिता-स्व० बोलों असुर ग्राम-घाघरापाट 4. बिरसाई असुर पिता-स्व० मंगरु असुर 5. एतवा असुर पिता-स्व० सुखनाथ असुर दोनों ग्राम-आदर पो०-आदर थाना-घाघरा जिला- गुमला 6. बिरी असुर पिता-स्व० जोगन असुर 7. खुसु असुर पिता-स्व० कजरु असुर 8. सोमनाथ असुर पिता-स्व ठेपा असुर 9. समीर असुर पिता- स्व० ठेपा असुर 10. बुधुवा असुर पिता-स्व० एतवा असुर सभी ग्राम -घाघरापाट पो० आदर थाना-घाघरा जिला- गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 49 के अंतर्गत अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि को मिनरल्स एण्ड मिनरल्स कोर्ट रोड़, लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षीय लीज में देने के लिए अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किए हैं :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)
घाघरापाट	12	34	483	3.24
			509	7.35
		कुल	02	10.59 एकड़

आवेदन पर सुनवाई दिनांक - 20.10.2017 को प्रारंभ करते हुए आम नोटिस निर्गत करने के साथ संबंधित अंचल अधिकारी, घाघरा से वर्णित भूमि व विषय के परिप्रेक्ष्य में जाँच-प्रतिवेदन, मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी, घाघरा का जाँच प्रतिवेदन उनके पत्रांक - 181 दिनांक - 07.03.2019 आलोक में प्राप्त व अभिलेख में संधारित है, जो निम्न अनुसार है :-

प्रतिवेदनानुसार -

-: लीज हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा दर्जा
घाघरापाट	34	483	3.24
		509	7.35
		कुल:-	10.59 एकड़

जमाबंदीदार का नाम - मंगरा असुर वल्द डिबका असुर

भूमि का बिक्री मूल्य - 2,63,200.00 रु० प्रति एकड़

लीज देने के पश्चात् आवेदक/आवेदकों की शेष भूमि - 10.59 एकड़

14  
प्रतिवेदनानुसार आवेदकगण जमाबंदी रैयत मंगरा असुर गण्ड दिवका असुर के परकीस है, जो अपने हिस्से की भूमि को बॉक्सआईड खनन हेतु कंपनी को लीज पर देना चाहते हैं।

दिनांक-04.10.2019 को आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक सं०-3 बुधवा असुर पिता-स्व० बोलो असुर की मृत्यु दिनांक-16.12.2018 को हो गयी है। जो निखलान है। जिसको रैयती द्वारा अपने ब्यान में भी सम्पुष्ट किया गया है।

पुन दिनांक-16.04.2021 को आवेदकगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया की आवेदक सं०-1 राणा असुर पिता-स्व० मंगरा असुर दिनांक-23.01.2021 को नावलद मृत हो गये है, तथा आवेदक सं०-10 बुधवा असुर पिता-स्व० एतवा असुर की भी मृत्यु दिनांक-11.05.2021 को हो गयी है।

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी घाघरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उनके पत्रांक-398 दिनांक-24.08.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक बुधवा असुर के परिवार में पत्नी कुर्ईन असुराईन की एक पौत्री सलमी कुमारी उम्र लगभग-12 वर्ष एवं एक पौत्र मंगरा असुर उम्र 9 वर्ष है। बुधवा असुर के पुत्र एवं पुत्रवधु की मृत्यु हो चुकी है। राणा असुर के संबंध में प्रतिवेदित है कि स्व० राणा असुर नावलद मृत हो गये है। अतः बुधवा असुर पिता-स्व० एतवा असुर के स्थान पर उनकी पत्नी कुर्ईन असुराईन पौत्री सलमी कुमारी एवं पौत्र मंगरा असुर को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है।

आवेदकों का ब्यान श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- जिला नजारात उप सनाहर्ता, गुमला द्वारा दिनांक - 25.07.2019 को लिया गया। आवेदकों ने अपने ब्यान में कहा है कि वे राजी-खुशी से प्रस्तावित जमीन कंपनी को खनन कार्य हेतु 20 वर्षों के लीज पर देने के लिए सहमत हैं। आवेदकों द्वारा ब्यान में उचित मुआवजा राशि के अतिरिक्त रोजगार, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के साथ खनन कार्य के उपरांत जमीन समतल कर कृषि योग्य बनाकर वापस करने की माँग किए हैं।

नेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स के साथ हुए रजिस्टर्ड दस्तावेज Indenture में गुमला जिला अंतर्गत कुल 01 ग्राम (घाघरापाट) को बॉक्सआईड खनन हेतु (डीड सं० - 319, दिनांक - 17.04.2017) में सम्मिलित किया गया है। उक्त खनन पट्टा अनुसार लीज की अवधि विस्तार वैधता वर्ष 2059 निर्धारित है।

कंपनी की ओर से उनके Sr. Officer (Legal) के द्वारा रैयतों के माँगों के संदर्भ में आवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार-कंपनी रैयतों के भूमि को लीज पश्चात् समतलीकरण कर वापस करने, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुआवजा राशि को स्वीकृत करने, रैयतों के परिवार में किसी एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नियोजित करने, सी०एस०आर० गतिविधि अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति दिए हैं। उनके द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि कंपनी के पास Valid E.C. (Letter No.- J-11015/87/2009-IA.II(M) Dated-24-09-2013, Ministry of Environment and Forests, Govt. Of India) है तथा यह लीज है मूरी एवं रेणुकूट (उत्तरप्रदेश) प्लॉट के लिए Captive Lease है, जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति में अंचल अधिकारी, घाघरा के जाँच-प्रतिवेदन व जिला अक निबंधक, गुमला के पत्रांक - 398 दिनांक - 19.09.2021 द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राप्त निबंधन दर एवं आवेदकों की माँग को ध्यान में रखकर प्रश्नगत भूमि का मूल्य 3,42,160.00 रु० (तीन लाख बयाली हजार एक सौ साठ रुपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से निर्धारित करते हुए प्रतिवेदित भूमि को लीज



देने की अनुमति अचल अधिकारी, घाघरा की अनुशंसा एवं सरकार व कंपनी के बीच हुए लिखित एकरारनामा में तय शर्तों व विदेशों के अतिरिक्त विन्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

(क) यह अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत लीज अवधि तक के लिए होगी।

(ख) कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लीज में उपयोग किए जाने के निर्धारित सम्भाव्यता के पश्चात् भूमि के कृषि योग्य व समतलीकरण कर संबंधित शैतों (आवेदकों) को वापस की जाएगी।

(ग) मुआवजा की राशि आवेदकगण के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर जमा करना है। राशि हस्तांतरण के पश्चात् ही जिला अवर निबंधक, गुमला द्वारा लीज हेतु भूमि का निबंधन किया जाएगा।

(घ) कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शैतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध करीएंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी सी0एस0आर0 गतिविधियों के अंतर्गत आच्छादित कार्य के तहत संबंधित शैतों को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण, उत्तम बीज, बाजार की व्यवस्था भी कराएंगे। साथ ही, खनन क्षेत्रों में भारी ट्रकों, डंपरों व अन्य खनन संयंत्रों के अनवरत रूप से आने-जाने के क्रम में सड़कों को होने वाली क्षति को समय-समय पर मरम्मत कराकर अच्छी स्थिति में संधारित रखना भी सुनिश्चित करेगा, ताकि ग्रामीणों के सामान्य आवागमन एवं अन्य दैनिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं उनका आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व अन्य गतिविधियाँ सुचारु रूप से सुगमतापूर्वक चल सकें।

पाट क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज्यादा गंभीर है, उक्त को ध्यान में रखकर कंपनी की ओर से उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आवश्यक पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएंगे तथा इस कार्य को सुचारु रूप से नियमित करने के लिए स्थानीय सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं से भी यथोचित समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।


(ड) लीज भूमि को खनन कार्य समाप्त या लीज अवधि समाप्ति में जो पहले हो, के आधार पर प्रश्नगत भूमि शैत/शैतों (आवेदक/आवेदकों) को वापस करना होगा।


(च) यदि, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक/आवेदकों का मकान अवस्थित है, तो उक्त भू-खंड पर लीज कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी को यथोचित स्थल पर उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।

(छ) कंपनी प्रस्तावित भूमि पर लीज कार्य प्रारंभ करने के क्रम में शैत/शैतों (आवेदक/आवेदकों) के परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को उनके योग्यता एवं क्षमता के आधार पर नियोजित करेगी। यदि कंपनी ठेकेदार द्वारा खनन कार्य कराती हैं, तो संबंधितों को नियोजित कराने का दायित्व कंपनी के ऊपर होगा।

(ज) कंपनी, नियोजित व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा बॉक्साईट खनन कार्य हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि - 1952 के अंतर्गत देय पी0एफ0 अंशदान एवं बोनस भुगतान अधिनियम - 1965 के अधीन देय बोनस के साथ दुर्घटना की स्थिति में Workmen Compensation Act - 1926, Gratuity Act - 1972 आदि विधिक देय के अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन कार्य के क्रम में सभी मानक सुरक्षा उपायों का भी संधारण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त,  
गुमला

  
उपायुक्त,  
गुमला